ग्राम पंचायत बदारन, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि: 1.04.2015 से 31.03.2018

भाग- एक

1 प्रस्तावना:

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बदारन, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :

प्रधान:

क्र. सं	नाम	अवधि
1	श्री सुनील कुमार	01/04/2015 से 22/01/2016
2	श्री संजय कुमार	23/01/2016 से लगातार।

सचिव:

क्र. सं	नाम	अवधि
1	श्री सुरेन्द्र कुमार	01/04/2015 से 26/10/2016
2	श्री सुरिन्दर कुमार	26/10/2016 से लगातार।

(ख)गम्भीर अनियमितताओं का सार:

ग्राम पंचायत बदारन, विकास खण्ड नादौन, के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	अनुदान का उपयोग न करना।	22.94
2	7	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि।	0.24
3	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	4.31
4	10	मूल्यांकन (Assessment) के बिना भुगतान करना	1.46
5	11	निर्माण कार्यों के लिए अधिक सीमेंट प्रयोग/दुर्विनियोजन करना	0.12

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:

ग्राम पंचायत बदारन, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) तथा श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19-5-2018 से 23-5-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

अवधि	आय	व्यय
2015-16	03/2016	6/2015
2016-17	03/2017	02/2017
2017-18	02/2018	03/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:

ग्राम पंचायत बदारन, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹ ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009** को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 127 दिनांक 23 /05/2018 के द्वारा सचिव ग्राम पंचायत से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹को बैंक ड्राफ्ट संख्या 000401 दिनांक 28/5/2018 के द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वितीय स्थिति:

ग्राम पंचायत बदारन, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2015 से 31/03/18 के स्वः स्त्रोत व अनुदानों की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है

(i) स्व स्त्रौत:

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	167218	28653	195871	11420	184451
2016-17	184451	42732	227183	15751	211432
2017-18	211432	31203	242635	18025	224610

(ii) अनुदान:

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	525625	1482458	2008083	1278239	729844
2016-17	729844	3134168	3864012	2293834	1570178
2017-18	1570178	2662502	4232680	1938477.60	2294202.40

ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक की मनरेगा रोकड़ बही जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी | इस मामले को सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र क्रमांक 130/2018 दिनांक 23-5-2018 के द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यान में लाया गया| ग्राम पंचायत सचिव ने अपने पत्र संख्या 02/2018 दिनांक 23-5-2018 के द्वारा सूचित किया है कि अवधि 4/2015 से 3/2017 तक की मनरेगा रोकड़ बही उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है क्योंकि उसका ONLINE अभिलेख उपलब्ध नहीं है जो कि अनुचित है I अत: रोकड़ बही प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा रोकड़ बही आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई जाएI

5 **बैंक समाधान विवरणी:**

स्व स्त्रौत:

दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष: ₹224610

अनुदान:

दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष: ₹2294202.40

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में

दिनांक 31.03.2018 को अन्तिम शेष: ₹2518812.40

दिनांक 31.03.2018 को बैंक खातों में अन्तिम शेष: ₹**2518547.40**

दिनांक 31.03.2018 को हस्तगत राशि : ₹265.00

कुल योग: **₹2518812.40**

अन्तर की राशि: ₹ शून्य

6 अनुदान ₹₹22.94 लाख का उपयोग न करना:

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.18 तक अनुदान ₹₹2294202 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था । अतः अनुदानो की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान की राशि का व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 पंचायत राजस्व ₹0.24 लाख वसूली हेतु शेष:

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/2018 तक पंचायत राजस्व ₹23500 वसूली हेतु शेष थी जोकि आपत्तिजनक है। अतः राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i) गृहकर

वर्ष	अथशेष (₹₹)	गृहकर की मांग (₹₹)	योग(₹₹)	प्राप्ति(₹₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹₹)
2015-16	0	10800	10800	10800	0
2016-17	0	22700	22700	22700	0
2017-18	0	23500	23500	0	23500

(ii) भू-राजस्व

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान भू-राजस्व की राशि प्राप्त नहीं हुई और न ही भू-राजस्व को प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई व प्रयास किया गया जोकि आपत्तिजनक है जिसका औचित्य स्पष्ट करें।अतः अब बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। मगर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.31 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹₹431318 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। इस मामले को सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र क्रमांक 130/2018 दिनांक 23-5-2018 के द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यान में लाया गया| ग्राम पंचायत सचिव ने अपने पत्र संख्या 02/2018 दिनांक 23-5-2018 के द्वारा सूचित किया है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्य की मदों का क्रय नियमानुसार निविदाओं द्वारा किया जाएगा जो कि अनुचित है I अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र. स.	**वाउचर संख्या:**	**मास**	**सामग्री का विवरण**	**मात्रा**	**दर**	**राशि ₹**
GENERAL CASH BOOK						
1	17	6/2015	पत्थर	180cft	24	4320
2	18	6/2015	बजरा	180cft	23	4140
3	19	6/2015	रेत	120cft	30	3600

4	20	6/2015	बजरी	120cft	30	3600
5	22	6/2015	स्टील	-	-	10192
6	23	6/2015	स्टेशनरी	-	-	12030
7	24	6/2015	स्टेशनरी	-	-	20716
8	95	2/2017	बजरा पत्थर	200cft 200cft	25 25	5000 5000
9	54	3/2018	पत्थर बजरी	305cft 125cft	25 32	7320 4000
10	59	3/2018	रेत किराया	390cft	28	10920 1080
14th FC						
11	44	2/2017	सोलर लाइट	10	18300	183000
12	60	2/2017	बजरी रेत	200cft 120cft	32 30	6400 3600
13	61	2/2017	सोलर लाइट	8	18300	146400
कुल योग						**₹431318**

10 मूल्यांकन (Assessment) के बिना ₹1.46 लाख का भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002- आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता के मूल्यांकन (assessment) के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा| परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के

अनुसार पंचायत द्वारा ₹146008 का भुगतान मूल्यांकन (assessment) के बिना किया गया | इस मामले को सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र क्रमांक 130/2018 दिनांक 23-5-2018 के द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यान में लाया गया | ग्राम पंचायत सचिव ने अपने पत्र संख्या 02/2018 दिनांक 23-5-2018 के द्वारा सूचित किया है कि अधिकतर कार्य प्रगति पर हैं अभी इन कार्य का मूल्यांकन नहीं किया गया है I मुल्यांकन उपरांत इनको जाँच हेतु उपलब्ध करवा दिया जाएगा " जो कि अनुचित होने के साथ प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना हैI अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए मूल्यांकन (assessment) के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए |

बा. सं.	**मास**	**कार्य का नाम**	**राशि**
GENERAL CASH BOOK			
22	6/2015	निर्माण पंचायत घर	10192
23	6/2015	निर्माण पंचायत घर	12030
24	6/2015	निर्माण पंचायत घर	20716
59	3/2018	निर्माण पुली भदौली भगोर	16710
14TH FC			
57	3/2018	निर्माण सामुदायिक भवन भदौली	12000
-	3/2018	निर्माण रास्ता सुनीता देवी के घर से उषा देवी के घर की ओर	8912
-	3/2018	निर्माण नाली दलीप कुमार के घर के पास	8355
-	3/2018	निर्माण नाली राकेश कुमार के घर के पास	8355
-	3/2018	निर्माण नाली करतार सिंह के घर के पास	8355

-	3/2018	निर्माण नाली कश्मीर सिंह के घर के पास	8355
-	3/2018	निर्माण रास्ता हैण्डपंप से लीला देवी के घर के पास	8355
-	3/2018	निर्माण रास्ता धर्म चंद के घर के पास	5570
-	3/2018	निर्माण नाली सुनील शर्मा के घर के पास	5570
-	3/2018	निर्माण नाली सर्वण कुमार के घर के पास	8355
-	3/2018	निर्माण रास्ता वीरेंद्र कुमार के घर के पास	4178
		कुल योग	**146008**

11 निर्माण कार्यों के लिए ₹0.12 लाख का अधिक सीमेंट प्रयोग/दुर्विनियोजन करना :--

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के लिए जारी किए गये सीमेंट तथा वास्तव में स्थल पर प्रयोग किए गये सीमेंट की मात्रा में 45 बैग का अंतर होने के कारण ₹273.05 प्रति बैग की दर से ₹12287 (45x273.05) मूल्य के सीमेंट का ग्राम पंचायत द्वारा दुर्विनियोजन किया गया I इस मामले को सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र क्रमांक 130/2018 दिनांक 23-5-2018 के द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यान में लाया गया | ग्राम पंचायत सचिव ने अपने पत्र संख्या 02/2018 दिनांक 23-5-2018 के द्वारा सूचित किया है कि मामले की जाँच करने के बाद वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया जाएगा I अत: मामले की शीघ्र जाँच करने के उपरांत वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए I

वाउचर संख्या	**मास**	**निर्माण कार्य का नाम**	**मापन संख्या व पृष्ठ संख्या**	**जारी किया गया सीमेंट**	**वास्तव में प्रयोग किया गया सीमेंट**	**अंतर**
GENERAL CASH BOOK						
93	2/2017	निर्माण रास्ता सम्पर्क मार्ग गॉव ज्सोह श्मशान घाट की ओर	9157 page 59	70	54	16

94	2/2017	निर्माण मार्ग शिव मन्दिर के पास गॉव बदरं	9157 page 34	70	51	19
14TH FC						
57	2/2017	निर्माण कार्य सामुदायिक भवन भदौली भगौर	9157 page 47	60	50	10
कुल						**45**

12 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय / अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप -3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है | परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर० टी० जी० एस०/ ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है | इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए|

13 **वर्गीकृत सार को तैयार न करना :---**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक भाग आय तथा दूसरा भाग व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेनदेन के लिए अलग अलग प्रविष्टी की जाएगी | प्रत्येक माह के अंत में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टी की जाएगी | इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है | परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाये जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु

साथ ही आय व्यय विवरणी तथा वितीय स्थिती का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है| इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए|

14 मस्ट्रोल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवलेहना :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 102 (1से7) के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रोल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाजिरी लगाने के लिएमस्टरोल जारी करने के रजिस्टर में प्रविष्टी के उपरान्त जारी किये जाएँगे | इन्हीं नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रोल का अभिलेखन व अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्यति के आधार पर किया जाएगा| परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किये गये मस्ट्रोल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है | मुख्य रूप से इन मस्ट्रोल में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई :--

1 मस्ट्रोल के भाग -3 जिसमें मजदूरों द्वारा किये गये कार्य का विस्तृत विवरण दिया जाता है को पंचायत द्वारा ख़ाली रखा गया जिस कारण मस्ट्रोल में किये गये कार्य तथा उसके विरुद्ध किये गये भुगतान की तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है|

2 प्रयोग किये गये मस्ट्रोल में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है | मस्ट्रोल पर रखे गये मजदूरों से सम्बन्धित विकास/ निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है|

3 मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियंता / तकनीकी सहायक द्वारा किये गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण भुगतान की गयी राशि को किये गये कार्य की प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका है |

4 मस्ट्रोल में कुछ कॉलमों को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं|

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

15 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां :---

ग्राम पंचायत के लेखाओं की वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल /वाउचरों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख की अंकेक्षण जांच उपरांत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं :--

1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट, लेखे, संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के " **परिशिष्ट – ई "** में दिए गये अनुबंध प्रारूप के अनुसार अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी I परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है I

2. बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेवार पंचायत पदाधिकारी / कर्मचारी द्वारा नहीं किया

गया है जिस के कारण किये गए भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है I इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है I

3 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच में कठिनाई आई है I इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

4. तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किये गए हैं I अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली की उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियमविरुद्ध होने के कारण अनियमित भी है I

5. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 104(2)(1) में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किये गए कार्य की जाँच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता , सहायक अभियन्ता आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है| परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख में एसी किसी भी जाँच के प्रमाण अथवा प्रमाण पत्र नहीं पाए गए हैं | यह स्पष्टतय: सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धित प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्य प्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है| इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में

तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए | इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियम विरुद्ध किये गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्च अधिकारी की कर्योतर स्वीकृति से नियमित करवाकर भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए |

16 **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-**

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता | इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है|

17 **ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ASSET रजिस्टर का रख रखाव न करना :----**

ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप 8 पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम हिमाचल प्रदेश परिसम्पत्ति (अस्ति)रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है जिसका शीघ्र रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए|

18 **मस्टरोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-**

पंचायत द्वारा लाखोँ रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्ट्रोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्ट्रोल को न सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया अत: उक्त के अभाव में भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए !

19 **फॉर्म 34 तैयार न करना तथा जाँच हेतु उपलब्ध न करना :--**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 19(3) , 27(3), 97(5) तथा 105(5) की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गये निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों की मात्रा तथा राशी एवं भुगतान की गयी मजदूरी का विवरण फॉर्म 34 पर तैयार नहीं किया गया जिसके अभाव में निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मात्रा तथा भुगतान की गयी मजदूरी की पुष्टि नहीं की जा सकी | अत: ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गये निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों की मात्रा तथा राशी एवं भुगतान की गयी मजदूरी का विवरण फॉर्म 34 पर शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए |

20 **बिना भुगतान आदेश के बिलों का भुगतान करनाः**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। मगर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है और सभी बिलों को केवल पंचायत प्रधान के हस्ताक्षरों से ही पारित किया गया है न कि उपरोक्त नियमानुसार प्रधान तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से पारित किया गया। इस के अतिरिक्त बहुत से बिलों का

भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया गया है। अतः उपरोक्त नियम के अनुसार कारवाई नहीं करने का उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इस में सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 **क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का अधूरा रख रखावः**

सरकार द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई सामान के रूप मे अलग-अलग स्टॉक रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण रजिस्टरों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा स्टाक रजिस्टरों का रख रखाव तो किया जा रहा है परन्तु उसमें सम्पूर्ण विवरण जैसे सामग्री का मूल्य, आपूर्तिकर्ता का नाम व पता, वस्तु की मात्रा तथा उस से सम्बन्धित गारन्टी इत्यादि को दर्ज नहीं किया जाता है। सामग्री की शेष मात्रा का प्रगतिशील योग भी नहीं किया गया है। अतः भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग-अलग स्थाई व अस्थाई स्टाक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग-अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

22 **विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।

23 प्रत्यक्ष सत्यापन:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 **लघु आपति विवरणिका:** संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

25 **निष्कर्ष :** संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)56/2018 खण्ड–1–5184–5187 दिनांक 02.08.2018
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत बदारन, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046